



क्रमांक स.3(9)(56)रथा / मंत्रा / अभि / 19 र ५६५ - ८२

दिनांक:— ०३.०७.२०

—: आदेश :—

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियम 1996 के अन्तर्गत, मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित पुत्र श्री मोहन लाल मीणा द्वारा पुलिस विभाग में नियुक्त हेतु आवेदन किया गया था। स्व. श्री सत्य नारायण मीणा, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस लाईन, भीलवाड़ा में कार्यरत थे, जिनका स्वर्गवास राज्य सेवा के दौरान दिनांक 05-03-2017 को हुआ है। कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 08.04.15, 21.01.2017 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार अन्य वांछित समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण होने पर बाद परीक्षण मृतक आश्रित श्री मोहन लाल मीणा पुत्र स्व. श्री सत्य नारायण मीणा निवासी:—ग्राम— भीमपुर पो.— गन्धेर, तहसील— जहाजपुर, जिला—भीलवाड़ा (राजस्थान) का निवासी है। जिनकी जन्म तिथि 08-06-1993 (शब्दों में आठ जून उन्नीस सौ तिरानवे) है, की नियुक्ति राजस्थान मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत अभियोजन विभाग में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण पर अस्थाई आधार पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से राज्य सरकार द्वारा नियत पारिश्रमिक रूपये 14600/- प्रतिमाह की दर से निम्न शर्तों पर की जाती है:—

- 1 कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक सं. 7(2)डी.ओ.पी./ए-ग/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(1) एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017, एवं संशोधित दिनांक 09.12.2017 के अनुसार पदाभिलाषी को 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में पे मेट्रिक्स लेवल संख्या —5 में नियम 16 (शिड्यूल-IV) के अनुसार नियत पारिश्रमिक रूपये 14600/- प्रतिमाह देय होगा। परिवीक्षा अवधि में वेतन वृद्धि का लाभ देय नहीं होगा। परिवीक्षा काल में कार्य सन्तोषजनक होने की स्थिति में इन्हें कनिष्ठ सहायक के पद का नियमित वेतन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1) वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.17 एवं संशोधित 9.12.2017 के अनुसार शिड्यूल-1 (पार्ट-बी) नियम-5(VI) एवं (VII) के अनुसार पे मेट्रिक्स लेवल संख्या—5 में नियमित नियुक्ति की जाकर, न्यूनतम मूल वेतन Rs 20,800/- पर वेतन निर्धारण किया जायेगा। यदि इनका कार्य परिवीक्षा अवधि में सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है तो इनकी सेवायें तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के पश्चात सेवाये सन्तोषजनक पाये जाने की दशा में नियमित वेतन श्रृंखला स्वीकृत की जावेगी।
- 2 कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक सं. 3(1)डी.ओ.पी./ए-ग/2013 दिनांक 02.01.2017 के अनुसरण में इन्हें स्थाईकरण की हकदारी के लिये प्रथम नियुक्ति तिथि से 3 वर्ष के अन्दर जिला परीक्षा आयोजन समिति जिला कलेक्टर द्वारा आयोजित कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, और ऐसा नहीं होने पर नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक वे ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर लेते हैं तब तक अनुज्ञाये कोई वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जावेगी। ऐसी अर्हता अर्जित कर लेने पर उन्हें नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त होने की तिथि से काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धियाँ अनुज्ञात की जावेगी, किन्तु कोई बकाया संदत नहीं की जावेगी।
- 3 वित्त विभाग की अधिसूचना एफ.15(7)एफ.डी./नियम/97 दिनांक 14.01.2004 के अनुसार पूर्व प्रचलित पैशन नियम लागू नहीं होगे और इनके स्थान पर दिनांक 1.1.2004 से प्रभावी अंशदायी पैशन योजनानुसार पैशन देय होगी।
- 4 राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियम 1996 के नियम 5 के उप नियम 2 एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.02.2001 के अन्तर्गत आश्रित परिवार के अन्य सभी सदस्यों का उचित तौर पर भरण पोषण करते रहेंगे और ऐसा नहीं होने पर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- 5 वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(1) एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित दिनांक 09.12.2017 के अनुसार पदाभिलाषी को 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में पे मेट्रिक्स लेवल संख्या —5 में नियम 16 (शिड्यूल-IV) के अनुसार नियत पारिश्रमिक रूपये 14600/- प्रतिमाह देय होगा, इसके अतिरिक्त विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं एडहोक बोनस इत्यादि देय नहीं होंगे।
- 6 परिवीक्षा अवधि में सामान्य भविष्य निधि, राज्य बीमा अंशदान की केटौति नहीं की जावेगी तथा सीपीएफ की कटौति वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(1) एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित दिनांक 09.12.2017 के अनुसार नियमानुसार की जावेगी।
- 7 परिवीक्षा अवधि में अभ्यार्थी को पूर्ण कलैण्डर वर्ष की अवधि में 15 आकस्मिक अवकाश देय होंगे, परन्तु एक वर्ष से कम की अवधि होने पर, प्रतिमाह अनुपातिक आधार पर आकस्मिक अवकाशों की गणना की जाकर अवकाश देय होंगे।

- 8 ज्वाईनिंग पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता¹ देय नहीं होगा, परन्तु स्थानान्तरण पर माईलेज (मील भत्ता) इन्सीडेण्टल चार्ज एवं यात्रा व्यय नियत पारिश्रमिक पर देय होगा।

क्र. सं.	मृतक राज्य कर्मचारी आश्रित का नाम व पिता का नाम	मृतक राज्य कर्मी का नाम पद/पदस्थापन स्थान	राज्य कर्मी के निधन की तिथि	अभ्यर्थी की जन्म तिथि	पदस्थापन कार्यालय
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री मोहन लाल मीणा पुत्र स्व. श्री सत्य नारायण मीणा	स्व. श्री सत्य नारायण मीणा, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस लाईन, भीलवाड़ा	05-03-2017	08-06-1993	कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, चित्तोड़गढ़

उपरोक्त अभ्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उक्त पद पर आदेश जारी होने की तिथि से छः सप्ताह के अन्दर आवश्यक रूप से अपने पद का कार्यभार सम्बाल लेवें, अन्यथा यह समझा जावेगा कि वह राज्य सेवा में आने का इच्छुक नहीं है और उसका नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

इनका पदस्थापन जिले में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा किया जावेगा।

Sd/-
(पी.सी.बेरवाल)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
4. उप निदेशक अभियोजन, उदयपुर।
5. सहायक निदेशक अभियोजन, चित्तोड़गढ़ को भेजकर लेख है कि यदि आपके कार्यालय में पदस्थापित उक्त अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करता है तो तत्पश्चात उसे कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावें। इनके स्वास्थ्य परीक्षण एंव चरित्र एंव पूर्ववृत्त का सत्यापन की जाँच करा ली गयी है, जिसकी फोटो प्रति संलग्न प्रेषित है।
6. **रजिस्टर्ड** – श्री मोहन लाल मीणा पुत्र स्व. श्री सत्य नारायण मीणा निवासी:—ग्राम— भीमपुरा पो.—गन्धेर, तहसील— जहाजपुर, जिला—भीलवाड़ा (राजस्थान) पिनकोड — 311202 को भेजकर लेख है कि आप छः सप्ताह की नियत अवधी तक कार्यग्रहण कर लेवें, कार्यग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा, ज्वाईनिंग टाइम में किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकृत नहीं की जावेगी।
7. गोपनीय शाखा, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
8. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

Qmmp
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर